पापमोचनी एकादशी : जानें पूजा, कथा और महत्व

चैत्र मास की कृष्ण पक्ष एकादशी 15 मार्च 2026 को मनाई जाएगी. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलने की मान्यता है.

हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को विशेष धार्मिक महत्व दिया जाता है. इन्हीं में से एक पापमोचनी एकादशी है, जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि का मार्ग खुलता है. धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पापमोचनी एकादशी को पापों का नाश करने वाली एकादशी कहा गया है. कहा जाता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियमों के साथ करने से व्यक्ति इस जन्म ही नहीं बल्कि पूर्व जन्मों के पापों से भी मुक्त हो सकता है. इस दिन भक्त सुबह स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और पूरे दिन व्रत रखते हैं. साथ ही दान, जप और भजन-कीर्तन का विशेष महत्व बताया गया है. व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि पर विधि-विधान से पारण किया जाता है.

पापमोचनी एकादशी की कथा- पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे. उसी समय स्वर्ग की अप्सरा मंजुघोषा उन्हें मोहित करने के लिए आई. उसके सौंदर्य और संगीत से ऋषि का तप भंग हो गया और वे लंबे समय तक मोह में पड़ गए. जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उन्होंने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए पापमोचनी एकादशी का व्रत किया.

पूजा विधि और उपाय

पापमोचनी एकादशी के दिन सुबह स्नान कर भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए. इस दिन तिल, गुड़, जल, अन्न और वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है. तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर दीपक जलाने से जीवन की नकारात्मकता दूर होती है. इसके अलावा विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से मन और आत्मा शुद्ध होती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से पितृ दोष दूर होता है और घर में सुख-समृद्धि आती है.

घर में आंवले का पेड़ कहां लगाना चाहिए?

जानिए वास्तु नियम और शुभ दिशा का महत्व

हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में पेड़-पौधों का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि सही दिशा में लगाए गए पौधे न केवल वातावरण को शुद्ध करते हैं, बल्कि घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ाते हैं. इन्हीं पवित्र पौधों में से एक है आंवला का पेड़, जिसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना गया है. वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आंवले का पौधा उचित दिशा में लगाया जाए, तो यह घर में धन, स्वास्थ्य और मानसिक शांति का कारण बन सकता है.

कौन सी दिशा है सबसे शुभ?- वास्तु नियमों के अनुसार आंवले का पेड़ घर की उत्तर दिशा में लगाना सबसे उत्तम माना जाता है. उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा कहा जाता है, जो धन और समृद्धि से जुड़ी होती है. इसके अलावा इसे पूर्व या उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में भी लगाया जा सकता है. इन दिशाओं में लगाया गया आंवला शुभ फल देने वाला माना जाता है.

सुख-समृद्धि में वृद्धि- मान्यता है कि घर में आंवले का पेड़ होने से परिवार में सुख-शांति बनी रहती है. यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलता है. कई लोग इसे घर के आंगन या बगीचे में विशेष स्थान देकर लगाते हैं.

धन लाभ की मान्यता- वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि आंवले का पेड़ घर में होने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. इसे आर्थिक उन्नति और धन वृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है. हालांकि यह धार्मिक आस्था पर आधारित मान्यता है.

नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा- आंवला का वृक्ष घर के वातावरण को शुद्ध करने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला माना गया है.

शीतला अष्टमी : संतान सुख और स्वास्थ्य की कामना का पर्व

11 मार्च को मनाई जाएगी शीतला अष्टमी. इस दिन माता शीतला को ठंडे भोजन का भोग लगाकर स्वास्थ्य, सुख और रोगों से रक्षा की कामना की जाती है. हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी का पर्व विशेष आस्था और परंपराओं के साथ मनाया जाता है. इस दिन भक्त माता शीतला की पूजा करते हैं और उन्हें ठंडे भोजन का भोग अर्पित करते हैं. कई स्थानों पर इस पर्व को बसौड़ा या बसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन की सबसे खास परंपरा यह है कि घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता.

श्रद्धालु एक दिन पहले यानी सप्तमी को ही भोजन तैयार कर लेते हैं और अगले दिन उसी ठंडे भोजन को प्रसाद के रूप में माता को अर्पित करते हैं और स्वयं ग्रहण करते हैं. परंपरागत रूप से मीठे चावल, हलवा, दही, पूड़ी या अन्य ठंडे पकवान भोग में चढ़ाए जाते हैं. मान्यता है कि माता शीतला स्वच्छता और स्वास्थ्य की देवी हैं. उनकी पूजा करने से गर्मी के मौसम में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों जैसे चेचक और खसरा से रक्षा होती है. खासतौर पर बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए महिलाएं यह व्रत रखती हैं और श्रद्धा से पूजा करती हैं. इस दिन देश के कई हिस्सों में माता शीतला की पूजा बड़े श्रद्धा भाव से की जाती है. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में यह पर्व विशेष रूप से लोकप्रिय है. शीतला अष्टमी को कई स्थानों पर बसौड़ा भी कहा जाता है. 'बसौड़ा' का अर्थ है बासी या पहले से तैयार भोजन. इस दिन घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता और भक्त एक दिन पहले तैयार किया गया ठंडा भोजन ही माता को अर्पित करते हैं. पूजा के लिए आमतौर पर मीठे चावल, हलवा, दही, राबड़ी, पूड़ी और अन्य ठंडे पकवान बनाए जाते हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार माता शीतला को स्वच्छता और रोगों से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है. प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि माता शीतला बच्चों को संक्रामक रोगों से बचाती हैं और परिवार को स्वास्थ्य व सुख प्रदान करती हैं. इसलिए कई परिवारों में महिलाएं अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती हैं. पूजा विधि की बात करें तो भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और घर या मंदिर में माता शीतला की प्रतिमा या चित्र की पूजा करते हैं. इसके बाद ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है और शीतला माता की कथा पढ़ी या सुनी जाती है. पूजा के बाद वही प्रसाद परिवार के सदस्यों में बांटा जाता है. इस दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी जरूरी माना जाता है. मान्यता के अनुसार शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, ताजा भोजन नहीं पकाना चाहिए. इसके अलावा बाल कटवाने और नाखून काटने से भी परहेज किया जाता है. धार्मिक आस्था और परंपरा से जुड़ा यह पर्व लोगों को स्वच्छता, संयम और स्वास्थ्य के महत्व की भी याद दिलाता है.

कार्यालय कलेक्टर, जिला खरगोन (म.प्र.)

राजस्व प्रकरण क्रमांक : 0008/अ-82/2025-26

क्रमांक/334/भू-अर्जन/2026 खरगोन, दिनांक : 02.03.2026

प्रारम्भिक अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) अंतर्गत धारा 11

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्र.-36 लंबाई 62.80 कि.मी. 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्न वर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्र.-36 लंबाई 62.80 कि.मी. 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

अनुसूची (1)

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)
बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्र.-36 लंबाई 62.80 कि.मी. 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर निर्माण हेतु	निजी भूमि 11.3197 हेक्टर शासकीय भूमि 1.3915 हेक्टर
योग:-	**12.7112 हेक्टर**

अनुसूची (2)

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला :- **खरगोन**

(ख) तहसील :- **महेश्वर**

(ग) ग्राम :- **पिपल्या बुजुर्ग**

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :- **11.3197 हेक्टेयर**

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जित रकबा (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1.	9/3/1	0.1432	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम लि., इन्दौर (म.प्र.)	बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्र.-36 लंबाई 62.80 कि.मी. 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर
2.	52/1/3/1/1/1	1.5558		
3.	52/9			
4.	52/4	0.0090		
5.	52/5	0.5090		
6.	1/3/1/1	0.1545		
7.	1/3/1/2	0.0184		
8.	1/3/2	0.0406		
9.	2/3/1	0.0281		
10.	2/3/3/1	0.2233		
11.	2/3/3/2	0.0270		
12.	13/2/1/1/1	0.2956		
13.	13/2/1/1/2			
14.	13/2/1/2			
15.	13/2/2			
16.	14/4/2	0.2091		
17.	14/3	0.2096		
18.	14/2/2	0.1367		
19.	14/8	0.0106		
20.	14/2/1	0.0786		
21.	14/1	0.1506		
22.	28	0.0153		
23.	29/1	0.0516		
24.	29/3/1	0.0752		
25.	29/3/2	0.0664		
26.	30/1/1	0.0276		
27.	30/1/2	0.0420		
28.	30/1/3	0.0483		
29.	30/1/4	0.0351		
30.	30/1/5	0.0550		
31.	30/2	0.2578		
32.	37/1	0.1239		
33.	37/2	0.0075		
34.	50/3/3	0.1400		
35.	50/3/2	0.1025		
36.	50/3/1	0.0745		
37.	50/1/2	0.0880		
38.	50/1/1/1	0.0068		
39.	50/1/1/2	0.0586		
40.	9/4	0.0057		
41.	9/1/3	0.0261		
42.	6/1	0.0482		
43.	52/3/2	0.1690		
44.	52/3/1	0.1690		
45.	123/4/3/1	0.2337		
46.	123/3/2/1/1	0.1584		
47.	123/2/1/1	0.0013		
48.	122/2	0.0353		
49.	122/1/2	0.1017		
50.	122/1/1	0.7645		
51.	121	0.1145	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम लि., इन्दौर (म.प्र.)	बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्र.-36 लंबाई 62.80 कि.मी. 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर
52.	117/1	0.0029		
53.	119/2	0.0673		
54.	120	0.0234		
55.	321/1	0.5731		
56.	321/2			
57.	320/1/2	0.0400		
58.	325/6	0.2558		
59.	325/1/1	0.0260		
60.	325/2	0.0249		
61.	325/5	0.1276		
62.	325/4	0.0369		
63.	258/2	0.0564		
64.	325/3	0.0228		
65.	326	0.3160		
66.	340/5	0.7283		
67.	340/4	0.0111		
68.	341/2	1.1142		
69.	341/4			
70.	341/1	0.1133		
71.	341/3/1	0.0230		
72.	341/3/2	0.2320		
73.	345	0.0389		
74.	346/4	0.0254		
75.	346/1	0.2229		
76.	346/2	0.2394		
77.	346/3	0.0949		
	कुल रकबा	**11.3197**		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस **सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर** किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग मण्डलेश्वर के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग मण्डलेश्वर कार्यालय में देखा जा सकता है।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता./- (भव्या मित्तल)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, जिला खरगोन (म.प्र.)

म.प्र. माध्यम/124819/2026

कार्यालय कलेक्टर जिला खरगोन (म.प्र.)

राजस्व प्रकरण क्रमांक : 0001/अ-82/2025-26

क्रमांक : 304/भू-अर्जन/2026 खरगोन, दिनांक : 02.03.2026

प्रारंभिक अधिसूचना

''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013''

(क्रमांक 30 सन् 2013) अन्तर्गत धारा- 11

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्र.-36 लंबाई 62.80 कि.मी. 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्न वर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य बडवाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्र.-36 लंबाई 62.80 कि.मी. 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

अनुसूची-1

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्र.-36 लंबाई 62.80 कि.मी. 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर निर्माण हेतु	निजी भूमि 7.1786 हेक्टर शासकीय भूमि 0.4078 हेक्टर
योग :-	**7.5864 हेक्टर**

अनुसूची-2

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला :- खरगोन

(ख) तहसील :- महेश्वर

(ग) ग्राम :- **बड़दिया सुर्ता**

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :- **7.1786 हेक्टेयर**

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जित रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1.	82/1/1	0.0710	संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लि. इन्दौर (म.प्र.)	बड़वाह-धामनोद राज्य राजमार्ग क्र.-36 लंबाई 62.80 कि.मी. 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर
2.	82/1/2	0.0710		
3.	82/2	0.0895		
4.	83	0.3330		
5.	101/1	0.2624		
6.	101/3	0.4050		
7.	101/4	0.3392		
8.	102/1	0.0696		
9.	103/1/12	0.1113		
10.	103/1/14	0.0046		
11.	103/1/4	0.1341		
12.	103/1/3	0.1330		
13.	103/2 शा.न. 112/2	0.4788		
14.	112/1/2	0.0118		
15.	112/1/3	0.0026		
16.	112/3	0.1625		
17.	113/1	0.1507		
18.	115/1/1	0.1388		
19.	115/1/2	0.0565		
20.	122/2/1	0.2640		
21.	122/2/2	0.2207		
22.	157/1, 158/1	0.2178		
23.	157/2, 158/2	0.1118		
24.	157/3, 158/3	0.0432		
25.	157/4, 158/4	0.0012		
26.	156/1/1	0.0407		
27.	156/2/1	0.1960		
28.	156/2/2	0.1377		
29.	155/1/1	0.0698		
30.	155/1/2	0.5119		
31.	155/2/1	0.1194		
32.	155/2/2	0.1295		
33.	154/1	0.2031		
34.	101/2	0.2834		
35.	103/1/16	0.0034		
36.	103/3	0.3047		
37.	151/1	0.0115		
38.	152/3	0.0111		
39.	150/2	0.1010		
40.	151/3/1	0.0098		
41.	151/3/2	0.1394		
42.	139/1	0.1360		
43.	139/3	0.0730		
44.	140/1/1	0.0265		
45.	140/1/2	0.0271		
46.	140/2/1	0.0337		
47.	140/2/2	0.0378		
48.	141/3	0.0853		
49.	141/2	0.0707		
50.	141/1/1	0.0323		
51.	141/1/2	0.0273		
52.	138/3	0.1266		
53.	137	0.0075		
54.	150/1/2	0.0144		
55.	150/1/1/2	0.0156		
56.	150/1/1/1	0.0682		
57.	143	0.1051		
58.	149/1	0.0268		
59.	149/2	0.0335		
60.	149/3	0.0347		
61.	103/1/6	0.0400		
	कुल रकबा	**7.1786**		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित **इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर** किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में **कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग मण्डलेश्वर** के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग मण्डलेश्वर कार्यालय में देखा जा सकता है।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता./- (भव्या मित्तल)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
म.प्र. शासन राजस्व विभाग, जिला खरगोन (म.प्र.)

म.प्र. माध्यम/124801/2026